(48)

संख्याः 1195/XXIV-3/11/02(53)11

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 25 अगस्त, 2011

विषयः राजकीय इण्टर कालेज कमलेश्वर, पिथौरागढ़ के नाम पंजीकृत 334 नाली 13 मुट्ठी भूमि में से 123 नाली 6 मुट्ठी भूमि राजकीय पालिटैक्निक मूनाकोट के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1093नि0प्रा0शि0/प्लान–छः–65/2011–12 दिनांकः 19 जुलाई, 2011 के सम्बन्ध में तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज कमलेश्वर, पिथौरागढ़ के नाम पंजीकृत 334 नाली 13 मुट्ठी भूमि में से 123 नाली 6 मुट्ठी भूमि राजकीय पालिटैक्निक मूनाकोट के नाम हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2 जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नही।

4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।

5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उसे भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।

क्रमशः–2

6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की भॉति वन भूमि सड़क निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी।

8. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

9. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव
(स्वतन्त्र प्रभार)।

पृष्ठांकन संख्याः 1195(08)/XXIV-3/11/02(53)11तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, कुमाऊॅ मण्डल,नैनीताल।
5– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
7– जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
8– जिला शिक्षाधिकारी, पिथौरागढ़।
9– प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, कमलेश्वर, पिथौरागढ़।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।